संख्या-01/2026/।/1193185/2026/001-71-2099/204/2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक -02-01-2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-108/2018/465/2025, दिनांक 15-10-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ परिसर में कालेज ऑफ़ मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों हेतु 200 बेडेड छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु अवशेष 5 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि विषयगत परियोजना हेतु शासनादेश दिनांक 06-03-2020 द्वारा रू0 1215.21 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 486.00 लाख, शासनादेश दिनांक 30-11-2021 द्वारा रू0 121.60 लाख, शासनादेश दिनांक 25-02-2022 द्वारा रू0 303.80 लाख, शासनादेश दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 द्वारा धनराशि रू0 243.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 1154.45 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा शासनादेश दिनांक 20 सितंबर, 2023 जी0एस0टी0 मद में वास्तविक व्यय की गयी धनराशि रू0 139.93 लाख, अवमुक्त की गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु तृतीय किश्त की धनराशि रू0 60.76 लाख (रूपये साठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
5. प्रश्नतगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-27/2020/63/71-2-2020-पी-06/2019, दिनांक 06-03-2020 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,76,000 (रुपये साठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231 /2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-01/2026/I/1193185/2026/001-71-2099/204/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in